संख्या -39/2015/क0नि0-4-981/11-14-300(1)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 31 जुलाई, 2015

विषयः- वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य एमपीएलएस-वीपीएन कनेक्टिविटी कार्य पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु बीएसएनएल को अग्रिम भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-मिशन मोड (लीज लाइन)/2015-16/289/वाणिज्य कर, दिनांक 24 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत मानक मद सं013-टेलीफोन पर व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 लाख (रू0 पाँच करोड़) शासनादेश संख्याः 23/2015/क0नि0-4-657/11-2015-300(24)/2014, दिनांक 08-04-2014 द्वारा विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है, उक्त अवमुक्त धनराशि में से वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य एमपीएलएस-वीपीएन कनेक्टिविटी कार्य पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु बीएसएनएल को रूपये 1,53,30,540.00 (रू0 एक करोड़ तिरेपन लाख तीस हजार पांच सौ चालीस मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा उक्त धनराशि का समायोजन भी दिनांक 31.3.2016 तक कर लिया जायेगा एवं महालेखाकार, उ0प्र0 को समायोजन भेजा जाय।

2- अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15(4)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 1,53,30,540.00 (रू0 एक करोड़ तिरेपन लाख तीस हजार पांच सौ चालीस मात्र) की धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान की जा रही है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ.ए.-1-242/दस-2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-39/2015/क0नि0-4-981(1)/11-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।